



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8896 सन् 2026

पप्पी @ इसरार हुसैनआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद जमील अख्तर, शहजाद आलम, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह.

1. आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.एम. जैदी, जिनकी सहायता में सुश्री सुफिया सिद्दीकी, अधिवक्ता उपस्थित हैं, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार सिंह को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 06.01.2026 एवं 28.01.2026 के आदेश, जो कि विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-22, कानपुर नगर द्वारा पारित किए गए हैं तथा जिनके द्वारा आवेदक का दिनांक 06.01.2026 के आदेश को वापस लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है, को निरस्त किया जाए। साथ ही विशेष सत्र विचारण संख्या 28 सन् 2015 (राज्य बनाम शीबू @ सरफराज एवं अन्य), जो कि अपराध संख्या 403 सन् 2014, धारा 376, 363, 354-क, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना बाबूपुरवा, जनपद कानपुर नगर से उत्पन्न है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-22, कानपुर नगर के समक्ष लंबित है, की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को भी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध धारा 376, 363, 354ए एवं 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है। वर्तमान प्रकरण में प्राथमिकी दिनांक 31.12.2014 को पंजीकृत की गई थी तथा अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2015 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात आरोप विरचित किए गए तथा विचारण न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसकी कार्यवाही को पूर्ण होने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा। इसके पश्चात अभियुक्त-आवेदक का धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बयान दिनांक 04.12.2025 को अंकित किया गया। तत्पश्चात प्रकरण 11.12.2025 को बचाव साक्ष्य हेतु नियत किया गया, किन्तु उस दिन आवेदक द्वारा न तो बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन दिया गया और न

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ही बचाव साक्षियों की सूची दाखिल की गई। इसके पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 24.12.2025 तथा तत्पश्चात 06.01.2026 की तिथि निर्धारित की गई, किन्तु अंततः दिनांक 06.01.2026 के आदेश द्वारा आवेदक का बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया गया। इसके उपरांत आवेदक द्वारा उक्त आदेश दिनांक 06.01.2026 को निरस्त किए जाने हेतु पुनर्विचार/रिकॉल आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

5. उपरोक्त दिनांक 06.01.2026 एवं 28.01.2026 के आदेशों से व्यथित होकर आवेदक द्वारा वर्तमान धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
6. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने में लगभग 10 वर्ष का समय लिया गया तथा उक्त विलंब के लिए आवेदक किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। यह भी कहा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकार कर तथा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। यदि आक्षेपित आदेश निरस्त नहीं किए जाते हैं तो आवेदक अपने प्रतिरक्षा के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार से वंचित हो जाएगा। अतः प्रार्थना की गई है कि आवेदक को विधि अनुसार बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई उपरोक्त प्रार्थना का राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा विचारण में विलंब उत्पन्न किया जा रहा है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा उसने जानबूझकर एवं उद्देश्यपूर्ण रूप से दिनांक 06.01.2026 को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बचाव साक्ष्य को बंद करना पूर्णतः विधिसंगत है तथा दिनांक 06.01.2026 के आदेश को वापस लिए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को दिनांक 28.01.2026 के आदेश द्वारा सही प्रकार से निरस्त किया गया है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।
9. अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हेतु दिए गए आवेदन को निरस्त किए जाने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि दं.प्र.सं. की धारा 233(3) का दायरा क्या है। धारा 233(3) का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यदि अभियुक्त किसी साक्षी को बुलाने अथवा किसी दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत कराने हेतु आवेदन करता है, तो न्यायालय उस प्रक्रिया को जारी करेगा, जब तक कि वह यह संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा आवेदन उत्पीड़न, विलंब करने अथवा न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया गया है, और ऐसे निष्कर्ष के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि न्यायालय उक्त आवेदन को अस्वीकार करता है तो उसे अपने कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य है। धारा 233(3) के स्पष्ट अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह विधि सर्वविदित है कि विचारण न्यायालय अभियुक्त को उन साक्षियों को बुलाने एवं परीक्षण करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, जिन्हें उसने अपने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बचाव में प्रस्तुत करने के लिए नामित किया है, क्योंकि यह उसका एक महत्वपूर्ण विधिक अधिकार है।

10. यह विधि सर्वविदित एवं स्थापित है कि यदि दं.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषमुक्त (acquittal) नहीं किया गया है, तो न्यायालय को अभियुक्त को अपना बचाव प्रस्तुत करने हेतु आह्वान करना आवश्यक होता है। वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से धारा 232 दं.प्र.सं./255 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कोई दोषमुक्ति निर्णय पारित नहीं किया गया है, अतः धारा 233 दं.प्र.सं./256 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान पूर्णतः लागू होते हैं। अभियुक्त को अपने बचाव के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान अधिकार है, जिसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय पर यह गंभीर दायित्व होता है कि वह यह विचार करे कि बचाव में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य वास्तव में आरोपों के प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक हैं या नहीं। यदि वे आवश्यक प्रतीत होते हैं, तो विचारण न्यायालय को बचाव साक्षियों को बुलाना चाहिए तथा इस प्रकार के मामलों में युक्तिसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और धारा 233(3) दं.प्र.सं./256 बी.एन.एस.एस. में वर्णित आधारों को छोड़कर अन्य किसी आधार पर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।

11. *कल्याणी बास्कर बनाम एम.एस. सम्पूर्णम*; (2007) 2 एस.सी.सी. 258 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्ष विचारण (fair trial) के अर्थ को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया है:-

“निष्पक्ष विचारण (Fair Trial)” में यह भी सम्मिलित है कि अभियुक्त को अपनी

निर्दोषता सिद्ध करने हेतु विधि द्वारा प्रदत्त उचित एवं समुचित अवसर प्रदान किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाएँ। प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करना एक मूल्यवान अधिकार है। इस अधिकार से वंचित किया जाना निष्पक्ष विचारण से वंचित किए जाने के समान है। यह आवश्यक है कि न्याय सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई प्रक्रिया संबंधी विधियों का कठोरता से पालन किया जाए तथा न्यायालयों को इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि उनका उल्लंघन न हो।

12. यदि आवेदक को अपने बचाव के साक्षियों का परीक्षण कर साक्ष्य अभिलेख पर लाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो इससे निष्पक्ष विचारण की प्रक्रिया प्रभावित होगी, जो कि आवेदक का एक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान अधिकार है, तथा ऐसी स्थिति में वह विचारण में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने में असमर्थ रहेगा।
13. तथापि, वर्तमान प्रकरण के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे, किन्तु विभिन्न कारणों से आवेदक द्वारा बार-बार स्थगन की मांग की गई, जिसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.01.2026 के आदेश द्वारा बचाव साक्ष्य को बंद कर दिया।
14. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक को एक और अवसर प्रदान किया जाए ताकि वह बचाव साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। यह भी आश्वासन दिया गया है कि आवेदक द्वारा अनावश्यक स्थगन नहीं लिया जाएगा तथा आज से पंद्रह दिनों के भीतर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक नवीन आवेदन दाखिल किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. प्रस्तुत तर्कों के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर निष्पक्ष विचारण (fair trial) के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
16. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित आदेश दिनांक 06.01.2026 एवं 28.01.2026 एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं, तथापि आवेदक पर ₹5,000/- का अर्थदण्ड (कॉस्ट्स) अधिरोपित किया जाता है, जिसे आवेदक द्वारा आज से पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय में जमा किया जाएगा।
17. उक्त राशि जमा किए जाने पर, आवेदक द्वारा विधि के अनुसार बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पंद्रह दिनों के भीतर एक नया आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। विद्वान विचारण न्यायालय उक्त आवेदन का निस्तारण अपने स्वतंत्र विवेक से, पूर्व आदेश दिनांक 06.01.2026 एवं 28.01.2026 से प्रभावित हुए बिना करेगा तथा आवेदक को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करेगा।
18. इस प्रकार जमा की गई राशि वर्तमान प्रकरण के परिवादी/पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
19. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित आवेदन दाखिल करने का यह अंतिम अवसर होगा तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदक को आगे कोई स्थगन (adjournment) प्रदान नहीं किया जाएगा।
20. यदि आवेदक उक्त राशि को निर्धारित पंद्रह दिनों के भीतर जमा करने में विफल रहता है तथा बचाव साक्ष्य/साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने हेतु उचित आवेदन दाखिल नहीं करता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय विधि अनुसार आगे की कार्यवाही करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. तथापि, यदि उक्त अवधि के भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय उसका विधि अनुसार विचार कर निस्तारण करेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि विद्वान विचारण न्यायालय धारा 233(3) दं.प्र.सं. को दृष्टिगत रखते हुए केवल प्रासंगिक एवं आवश्यक साक्षियों को ही समन करेगा तथा बचाव साक्ष्य की कार्यवाही को आज से तीन माह की अवधि के भीतर समाप्त करने का हर संभव प्रयास करेगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक : 28 मार्च, 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।